उपखण्ड अधिकारी कोर्ट कोटपूतली

मनोहरसिंह आदि बनाम ईश्वरसिंह आदि

अपील/ [illegible] /19

1/03/19	यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत एड. अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध मसावदा नं. 207 ग्राम पंचायत [illegible] दिनांक 17/06/2000 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश किया है। रिपोर्ट न्यायालय द्वारा ली गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब [illegible] मिसल निचली तलब [illegible] दिनांक 22/04/19 को पेश हो। Ri4 उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली	
22/4/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष [illegible] P.O Sb अवकाश पर/चुनाव कार्य मे [illegible] आज्ञा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त [illegible] दिनांक ~~[illegible]~~ 14/05/19 [illegible]	
14/5/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O Sb अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ आज्ञा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/06/19 को पेश हो।	
20/06/19	वकील अपीलार्थी हाजिर। रेस्पो. नं. 1 व 3 की ओर से वकील श्री जयप्रकाश सैनी ने वकालतनामा पेश किया [illegible] रेस्पो. नं. 4 की तामील मिसल हो। मिसल आदेश तामील अपील आपत्तियां हेतु 01/07/19 को पेश हो। Ri4	
01/07/19	वकील उभयपक्ष हाजिर। रेस्पो. नं. 4 की तामील हो मिसल आदेश तामील/अपील आपत्तियां हेतु 17/07/19 को पेश हो। Ri4	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

17/8/19 पत्रावली पेश हुई। रेस्पो. नं. 4 की तल्बी हेतु तलबाना पेश किया गया। अतः वास्ते तल्बी दि. 21/8/19 को पेश हो। [illegible]

21/8/19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है।
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 11/9/19 को पेश हो।

11/9/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब अपील/अपील तथा रेस्पो. नं. 4 की तल्बी आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 23/9/19 को पेश हो। [illegible]

23/9/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो. नं. 4 पर तामील हो चुकी है। पत्रावली वास्ते जवाब अपील दिनांक 3/10/19 को पेश हो। [illegible]

3/10/19 पत्रावली पेश हुई। रेस्पो. नं. 4 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.10.19 को पेश हो। [illegible]

18/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11/11/2019 को पेश हो। [illegible]

11/11/19 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/01/2019

01. फतेहसिंह पुत्र हनुमान सिंह
02. बजरंगसिंह पुत्र हनुमान सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला–सीकर

–अपीलांट्स

बनाम

01. रसाल कंवर पत्नी हनुमान सिंह
02. मदन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
03. गोपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला–सीकर
04. ग्राम पंचायत, श्यामपुरा पं. स. धोद जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 207 बाबत ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर दिनांकित 17.06.2000

उपस्थिति–
01. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील अपीलांट्स की ओर से
02. श्री जयप्रकाश सैनी, वकील रेस्पोंडेंट् सं. 1 ता 3 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 09.12.2019

01. वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 3 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

हनुमानसिंह(फौत)

रसाल कंवर (पत्नी)	मदनसिंह (पुत्र)	गोपालसिंह (पुत्र)	बजरंगसिंह (पुत्र)	फतेहसिंह (पुत्र)

अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 3 स्व. हनुमानसिंह के एकमात्र वारिसान है। कृषि भूमि खसरा सं. 80 रकबा 4.99 हेक्टेयर वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद की तन में अवस्थित है, जिसमें अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 के पिता हनुमानसिंह रिकोर्डेड, काबिज खातेदार, काश्तकार थे। जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 3 ने आपस में साजिश रचकर तथा ग्राम पंचायत में दिनांक 17.06.2000 को अपीलांट्स हनुमानसिंह के जायंदा वारिसान होने के बावजूद भी नामान्तरकरण सं. 207 में अपीलांट्स का नाम फतेहसिंह के स्थान पर वकीलसिंह तथा बजरंग सिंह के स्थान पर बाबूलाल सिंह अंकित करवा दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 25.02.2019 को अपीलांट्स अपने हक व हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे थे, तो रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 ने कहा कि आपका इन भूमियों से कोई लेना देना नहीं है। तब अपीलांट्स ने कहा कि यह भूमि पैतृक है तथा हम भी हनुमानसिंह के वारिसान है। इस पर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 व 3 आग बबूला हो गये तथा कहा कि हमने राजस्व अभियान में तुम्हारा नाम अंकित करवा लिया है। इस पर अपीलांट्स ने नामान्तारकरण सं. 207 दिनांक 17.06.2000 की नकल दिनांक 11.03.2019 को प्राप्त होने पर अपीलांट्स को मालूम चला कि उनका नाम नामान्तारकरण सं. 207 मे बाला—बाला रूप से गलत अंकित करवा दिया गया है। अतः नामान्ताकरण की जानकारी से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस संबंध में अलग से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त स्वीकृत किया गया चुनौतीग्रस्त नामान्ताकरण विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ ग्राम पंचायत श्यामपुरा पं.स. धोद द्वारा स्वीकृत किया गया नामांतरकरण संख्या 207 दिनांकित 17.06.2000 को निरस्त किया जावें।

02. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक श्री जयप्रकाश सैनी उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपील के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान अपील के समर्थन में कुछ दस्तावेजात आदि पेश किये। वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 207 हनुमानसिंह के फौत होने पर विरासत का भरा गया था। पत्रावली में संलग्न ग्राम—पंचायत का प्रमाण—पत्र, विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व पेन कार्ड में अपीलांट्स के नाम फतेहसिंह व बजरंगसिंह पुत्र हनुमानसिंह अंकित है। इससे स्पष्ट है कि विवादित नामान्तरकरण में अपीलांट्स के गलत नाम वकील सिंह व बाबूलाल सिंह अंकित किये गये है। अतः विवादित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण सं. 207 दिनांक 17.06.2000 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 हनुमानसिंह के विधिक वारिसों की जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद म. सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned with CamScanner

न.

7/11/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित उप./ बहस प्रार्थी के पूर्व में हुई। पत्रावली वास्ते फाइल रिपोर्ट 9/12/19 को पेश हो। Rl
9/12/19	पत्रावली वास्ते फैसलार्थ पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता श्री. ... मनन किया। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार ... को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। ... पत्रावली ... पत्रावली ... तकमील दाखिल ... हो। Rl उपखण्ड अधिकारी धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.12.11 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: